

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 2617/11-सी-कन्नौज/26451/2017, लखनऊ, दिनांक: मार्च 16, 2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- कन्नौज में एन०एच०-91 किमी० 289 से 356 तक (नवीगंज से मित्ररोनपुर मार्ग) 04 लेन चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 99.328 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6478 वृक्षों व 24281 पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:- उ०प्र० शासन की पत्र सं०-2324/81-2 2021-800(33)/2018 दिनांक 29.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयगत प्रकरण में उ०प्र० शासन के संदर्भित पत्र द्वारा अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड हो गयी है। अतः विषयगत प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत कराने हेतु आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-2617/11-सी-कन्नौज/26451/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 2 मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज वन प्रभाग।
- 3- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०, अलीगढ़ एवं कन्नौज।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

olc